राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005 (राज.)

फोन नः 0141-2228066 , 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाईट : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067 ई–मेल :: rmsc@nic.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2025–26/1847 दिनांक : 10/11/25

आदेश

फर्म मैसर्स Yacca Pharmaceuticals Pvt Ltd., 11 th KM Stone, Dehradun Road Roorkee-247667, UK से निविदा क्रमांक F.02(392)/ RMSCL/ PROCUREMENT/ Drug/ NIB-01/ 2024/ 96 दिनांक 12.01.2024 के तहत् औषधि Calcium And Vitamin D3 Suspension [441] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि आपूर्ति करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 5999 दिनांक 25.11.2024, 7586 दिनांक 09.03.2025 व 484 दिनांक 08.05.2025 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेश की पालना में आपूर्ति की गयी औषधि को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की अधिकृत प्रयोगशाला से जाँच कराये जाने पर औषधि के बैच संख्या AS-4438, AS-4433, AS-4445, AS-5096, AS-5178, एवं AS-5182 गुणवत्ता (Microbial Contamination) में अमानक कोटि के पाये गये जो कि Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में है।

उक्त बैच को पुनः जांच हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की जांच में औषधि के उक्त बैच में से बैच संख्या AS-4438, AS-4433 एवं AS-4445 गुणवत्ता (Microbial Contamination) में निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं है जो कि Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में है।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा उक्त औषधि के बैच संख्या AS-4438, AS-4433 एवं AS-4445 के लिये अमानक कोटि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 28.10.2025 में रखा गया। फर्म को दिनांक 17.10.2025 को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिये अवसर दिया गया, परन्तु समिति के समक्ष फर्म का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ न ही फर्म की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा उक्त औषधि के उक्त बैच को Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में अमानका कोटि का घोषित किया गया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की विवर्जन संबंधी गाइडलाइन के क्लॉज 4.6(2) के तहत Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या Section (V)(3) Quality Testing एवं Section (VII)(A)(E) Quality Control Deduction & Other Penalties के अनुसार निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई औषधि के सैम्पल गुणवत्ता मानकों अनुसार नही पाये जाने पर विवर्जन संबंधी दिशा–निर्देशों (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक

Signature valid

Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Managing Director
Date: 2025.11.07 17:58:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18695486
eSign 1.0

28/08/2018 के क्लॉज 4.6(2) के अनुसार कार्यवाई किये जाने का प्रावधान है। विवर्जन संबंधी दिशा–निर्देशों का क्लॉज संख्या 4.6(2) निम्नानुसार हैः–

4.6(2) If two or more batches supplied under a tender tenure by the supplier is declared as Not of Standard Quality by an empanelled lab or Govt. Lab, which falls in grossly substandard and such failure is further confirmed by Govt. Lab, then the Product shall be liable for debarring for a period of not less than two (2) years.

अतः निविदा की शर्त संख्या Section (V)(3) Quality Testing एवं Section (VII)(A)(E) Quality Control Deduction & Other Penalties के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबंधी दिशा निर्देशों (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 28.10.2025 की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म मैसर्स Yacca Pharmaceuticals Pvt Ltd., 11 th KM Stone, Dehradun Road Roorkee-247667, UK की औषधि Calcium And Vitamin D3 Suspension [441] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 3 वर्ष (36 माह) के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है।

इस आदेश का पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा प्रतिस्थापित (Replacement) प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई गई हो, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(पुखराज सैन)
आई.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2025–26/1847 दिनांक : 10.11.25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
6. निजी सहायक, निदेशक,पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
8. निजी सहायक, औषधि नियंत्रक, राजस्थान/उत्तराखंड।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं उप.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. M/s Yacca Pharmaceuticals Pvt Ltd., 11 th KM Stone, Dehradun Road Roorkee-247667, UK
13. आदेश पत्रावली।

RajKaj Ref No.:
18695486
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Managing Director
Date: 2025.11.07 17:58:46 IST
Reason: Approved